न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या : 110 सन् 2020

राज्य बनाम संजय चौहान आदि।

आरोप

मैं, जगदीश प्रसाद-V, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली आप अभियुक्त संजय चौहान एवं पप्पू विश्वकर्मा को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :-

यह कि दिनाँक 06.10.2019 को समय 20.00 बजे, स्थान पन्नो देवी कालेज के सामने, थाना कोतवाली मुगलसराय, जनपद चन्दौली में मेला देखने जाते समय सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा के भाई रामफल यादव को जान से मारने की नियत से आप अभियुक्त संजय चौहान ने कट्टे से पाँच राउण्ड गोली मारी, जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्त संजय चौहान हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्त संजय चौहान का यह कृत्य भा.द.सं. की धारा 307 तथा अभियुक्त पप्पू विश्वकर्मा उर्फ प्रदीप विश्वकर्मा का कृत्य भा.दं.सं. की धारा 307 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक : 11.10.2021,

(जगदीश प्रसाद-V)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

दिनाँक : 11.10.2021,

(जगदीश प्रसाद-V)
J.O.Code U.P. 5874
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2021.10.11 15:22:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court